



- पद का विवरण :—**

पद का नाम	चिकित्सा अधिकारी
सेवा श्रेणी	द्वितीय श्रेणी – छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें)
वेतनमान	56100–177500 (लेवल 12) 7वें वेतनमान अनुसार (वेतन बैंड 15600–39100 ग्रेड वेतन–5400/-) एवं समय–समय पर राज्य शासन के द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते। (विज्ञापन के कंडिका 7 अनुसार वेतन देय होगा)
- शैक्षणिक अर्हताएं :—**
  - एम.बी.बी.एस. उपाधि अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि (समकक्ष उपाधि में केवल ऐलोपैथी पद्धति की उपाधि ही मान्य होगी)।
  - छत्तीसगढ़ मेडिकल कांजसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अन्य राज्यों के मेडिकल कांजसिल में पंजीकृत आवेदकों को छत्तीसगढ़ राज्य में सेवायें देने की स्थिति में 2 माह के भीतर छत्तीसगढ़ मेडिकल कांजसिल में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
  - अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं का “प्रमाण–पत्र” ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं के प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे।
- आवेदन भरने की तिथि एवं प्रक्रिया :—**
  - ऑन–लाईन आवेदन दिनांक 23.09.2021 से दिनांक 12.10.2021 को कार्यालयीन समय सायं 5.00 बजे तक विभागीय वेबसाइट [www.cghealth.nic.in](http://www.cghealth.nic.in) एवं <https://web.cgstate.gov.in/RMO> के माध्यम से भरे जा सकेंगे।
  - उक्त पद पर आवेदन करने हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क रूपये 500/- (रूपये पाँच सौ मात्र) तथा आरक्षित वर्ग में अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क रूपये 400/- (रूपये चार सौ मात्र) देय अनिवार्य होगा।
  - विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
  - चिकित्सा अधिकारी के पदों हेतु ऑन–लाईन आवेदन व उक्त पदों की भर्ती के संबंध में सामान्य शर्त एवं दिशा–निर्देश विभाग के वेबसाइट [www.cghealth.nic.in](http://www.cghealth.nic.in) में देखी व डाउनलोड की जा सकती है।
  - उक्त भर्ती के संबंध में विभाग द्वारा समय–समय पर जारी समस्त निर्देश/आदेश/सूचना एवं अन्य जानकारियों विभागीय वेबसाइट [www.cghealth.nic.in](http://www.cghealth.nic.in) पर जारी किया जावेगा।
- आयु सीमा :—** अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2021 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा में छूट के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देश/आदेश/नियम (यथा संशोधित) लागू होंगे किंतु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।



← मास्क पहनें, 2-गज की दूरी अपनाएं, साबुन से हाथ धोएं →







- 10.2 ऑन-लाईन आवेदन करने के संबंध में दिशा-निर्देश एवं अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट ([www.cghealth.nic.in](http://www.cghealth.nic.in)) में उपलब्ध है।
- 10.3 ऑन-लाईन आवेदन करने उपरांत आवेदन का प्रिंट आउट निकालकर स्वयं हस्ताक्षर कर हस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर आन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य होंगा।
- 10.4 आवेदन संबंधी एवं अन्य नियम एवं शर्तों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट ([www.cghealth.nic.in](http://www.cghealth.nic.in)) पर उपलब्ध है।
11. अभ्यार्थियों के मूल प्रमाण-पत्रों की जांच (सत्यापन) का कार्य संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. द्वारा कराया जावेगा प्रमाण-पत्र त्रुटिपूर्ण/गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी/चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा एवं संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
12. आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिये जन्म प्रमाण पत्र/हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल/मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम्यक अन्य कोई भी शासकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. अनापत्ति प्रमाण-पत्र :— छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्यरत शासकीय सेवक तथा विभिन्न नगर निगमों/मंडलों राज्य शासन के उपक्रम/अन्य राज्यों एवं भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत होने की स्थिति में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. की नियुक्ति हेतु संचालक स्वास्थ्य सेवायें/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नियुक्ति हेतु मिशन संचालक/संचालक चिकित्सा शिक्षा की नियुक्ति हेतु संचालक चिकित्सा शिक्षा/अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय की नियुक्ति हेतु संबंधित अधिष्ठाता/डीएमएफ मद से नियुक्ति हेतु संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक/अन्य आदि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र उपरोक्तानुसार ही मान्य किये जायेंगे।
14. विज्ञापन में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन:—इस विज्ञापन में उल्लेखित शर्तें, महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार नियोक्ता प्राधिकारी का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यार्थी पर बंधनकारी होगा।



संचालक  
स्वास्थ्य सेवायें  
छत्तीसगढ़

